

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 24/2017

उनवान

रिद्धकरण पु. स्व. नारायण जाति जाट नि० दिलवाड़ा नसीराबाद,
— वादी :- जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. भागीलाल,
2. महेन्द्र,
3. रामसिंह,
4. मंदौर,
5. सुरता,
6. शारदा पि० छगना,
7. रामनाथ,
8. केसर
9. प्रेमी,
10. छोटी पि० रघुनाथ समस्त जाति जाट नि० दिलवाड़ा
11. सांवरा पुत्र गणेश (तर्क)
12. हरि पि० गणेश जाट
13. सुगनी पत्नि गणेश
14. सायरी पत्नि, कल्याण
15. मेघराज,
16. मालती पि० कल्याण जाट
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद,

— प्रतिवादीगण :- 1 से 15 अनुपस्थित
16 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा० का० अधि० 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :-

दिनांक :- 29/5/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाड़ा में वादी की पुश्तैनी खातेदारी की आराजी स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

चौसाला ख०न०	रकबा	वंकिगख०न०	रकबा	हाल ख०न०	रकबा
1341	3-7-10	1296	3-7-10	1398	0.20
				1399	0.19
				1409	0.15

चौसाला खसरा नम्बर 1341 रकबा 3-7-10 नारायण, रघुनाथ, गणेश पि० मन्दरूप जाट के नाम चौसाला जामबंदी सम्वत् 2019-22 में खातेदार दर्ज है। नारायण, रघुनाथ, गणेश पि० मन्दरूप की मृत्यु हो गयी है नारायण के 4 लडके छगना, रिद्धकरण, गोपाल व कल्याण हैं जिनमें से रिद्धकरण वादी है। गोपाल नाऔलाद फौत हो गया है। व कल्याण प्रतिवादी संख्या 14 से 16 है। छगना के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 है।

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

शेष प्रतिवादीगण भी मूल खातेदार के वारिस है। उक्त आराजी में नारायण का 1/3 हिस्सा निहित है। किन्तु राजस्व अभिलेख में नारायण का 1/3 हिस्सा छगना के अकेले के नाम व वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम कर दिया। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 14 से 16 का नाम उक्त आराजी में अंकित नहीं किया। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे हैं। अतः वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 15 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया।


अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये। व साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।


बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। चौसाला खसरा नम्बर 1341 रकबा 3-7-10 नारायण, रघुनाथ, गणेश पि0 मन्दरूप जाट के नाम चौसाला जामबंदी सम्वत् 2019-22 के खाता संख्या 119 में दर्ज है। उक्त चौसाला खसरा नम्बर के वंकिंग खसरा नम्बर 1296 रकबा 3-7-10 वंकिंग जमाबंदी के खाता संख्या 55 में छगना पुत्र नारायण, रघुनाथ, गणेश पि0 मन्दरूप के नाम दर्ज है। नारायण, रघुनाथ, गणेश पि0 मन्दरूप की मृत्यु हो गयी है नारायण के 4 लडके छगना, रिद्वंकरण, गोपाल व कल्याण है जिनमें से रिद्वंकरण वादी है। गोपाल नाऔलाद फौत हो गया है। व कल्याण के वारिस प्रतिवादी संख्या 14 से 16 है। छगना के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 है। शेष प्रतिवादीगण भी मूल खातेदार के वारिस है। उक्त आराजी में नारायण का 1/3 हिस्सा निहित है। किन्तु राजस्व अभिलेख में नारायण का 1/3 हिस्सा छगना के अकेले के नाम व वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम कर दिया। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 14 से 16 का नाम उक्त आराजी में अंकित नहीं किया। हाल खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.20, 1399 रकबा 0.19 व 1409 रकबा 0.15 में नारायण के सभी वारिस का नाम दर्ज करने के बजाय मात्र छगना व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिस के नाम त्रुटिपूर्ण अंकन कर दिया। जबकि छगना के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 14 से 16 का भी 1/3 हिस्सा निहित है। अर्थात् वादी का 1/9 व प्रतिवादी संख्या 14 से 16 का 1/9 हिस्सा उक्त आराजी में निहित है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। राज0 पैरोकार ने भी वादी का खण्डन नहीं किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी इन्द्राज दुरुस्ती का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.20, 1399 रकबा 0.19 व 1409 रकबा 0.15 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को 1/9 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 14 से 16 को 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



डिक्री व मुकदमें इत्दाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रिद्धकरण बनाम भागीलाल वगै०


दावा दावत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 24/2017

पेश करने की दिनांक - 15.02.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.20, 1399 रकबा 0.19 व 1409 रकबा 0.15 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को 1/9 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 14 से 16 को 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—~~—~~ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २९ माह ५ सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद